तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/7/23	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/8/23 को पेश हो।	
16/8/2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 28/8/2023 को पेश हो।	
28/8/2023	वाद संख्या 408/2012 अन्नपूर्णा शिक्षण प्रशि.संस्थान बनाम अशोक सिंह वगै0 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2023 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील वादी को सुननें व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारान/खातेदारान के मध्य मौके पर कब्जे काश्त हिस्सा अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिस पर वकील वादी भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/6778 दिनांक 17.11.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी ख0न0 169,171 किता 2 रकबा 0.73 हैक्ट. अवस्थित ग्राम मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना का प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्क्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:49:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner